



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 7, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(अध्यापकों एवं संविदा शिक्षकों के वेतनमान सम्बन्धी श्री सुखदेव पांसे, सदस्य के प्रश्न संख्या 10 (ता.प्र. 1143) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 96 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गादिया के ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में शामिल करने,
 - (2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में कचरा डंप किये जाने
 - (3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के घुघरी ग्राम में विद्युतीकरण न होने,
 - (4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के इकमिली एवं असवार ग्रामों में जल संसाधन विभाग की लापरवाही से घरों में पानी घुसने
 - (5) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य न कराये जाने का आदेश दिये जाने,
 - (6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम कुबरी में विकास कार्य न किये जाने,
 - (7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 13 में नाले का निर्माण पूर्ण न होने,
 - (8) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा में श्री जी मंदिर के समीप डिस्पेन्सरी बंद करने से समस्याएं होने,
 - (9) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश में पंजीयक कार्यालय द्वारा अधिक फीस वसूली जाने तथा
 - (10) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर के एम. वाय. अस्पताल में मरीजों को लिफ्ट की सुविधा न मिलने
- संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने उनके विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -
 - (क) क्रमांक एफ-ए-3-54/2012/1/पांच (48), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तथा
 - (ख) क्रमांक एफ-ए-5-8-2012-1-पांच (43), दिनांक 7 दिसम्बर, 2012पटल पर रखीं।
- (2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2003-04 पटल पर रखा।
- (3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने -
 - (क) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष, 2011-12,
 - (ख) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12,
 - (ग) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा
 - (घ) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12.पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

- (1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के पट्टे न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।
- (2) सर्वश्री संजय पाठक, सुनील जायसवाल, नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं श्रीमती साधना स्थापक, सदस्यगण ने कटनी एवं नरसिंहपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्य में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई:-

- (1) श्री संजय पाठक, सदस्य (जिला-कटनी)
- (2) डॉ. निशित पटेल, सदस्य (जिला-कटनी)
- (3) श्री जुगुल किशोर, सदस्य (जिला-सतना)
- (4) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य (जिला-मुरैना)
- (5) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य (जिला-राजगढ़)

6. शासकीय वक्तव्य

श्री अजय विश्वा, पशुपालन मंत्री द्वारा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थित शासकीय भूमि के आवंटन की प्रक्रिया सम्बन्धी वक्तव्य दिए गए।

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में ओला, पाला, सर्दी एवं असमय बरसात के कारण फसलों को क्षति होने के संबंध में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री रामलखन सिंह
- (2) डॉ. गोविन्द सिंह

(अपराह्न 1.00 से 2.36 बजे तक अन्तराल)

- (3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
- (4) श्री कमल पटेल
- (5) श्री पुरुषोत्तम दांगी
- (6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
- (7) श्री यादवेन्द्र सिंह
- (8) श्री तुलसीराम सिलावट
- (9) श्री सुरेश चौधरी
- (10) श्रीमती साधना स्थापक
- (11) श्री हेमराज कल्पोनी
- (12) श्री सुनील जायसवाल
- (13) कुंवर विक्रम सिंह
- (14) श्री सुखदेव पांसे
- (15) श्री भगवान सिंह राजपूत
- (16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
- (17) श्री रामलाल मालवीय
- (18) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
- (19) श्री मनीराम धाकड़
- (20) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

9. वर्ष 2013-14 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2013-14 के आय-व्यय पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह
(चर्चा जारी)

10. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक एवं वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013)	30 मिनट

वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 38- आयुष 65- विमानन 48- नर्मदा घाटी विकास	3 घण्टे
2.	डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3 घण्टे
3.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1 घण्टा
4.	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	14- पशुपालन 16- मछली पालन	1 घण्टा
5.	श्री गौरी शंकर बिसेन, मंत्री	17- सहकारिता	1 घण्टा 30 मिनट
6.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21- आवास एवं पर्यावरण 23- जल संसाधन 40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	2 घण्टे 30 मिनट
7.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री	12- ऊर्जा 25- खनिज साधन	2 घण्टे
8.	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	8- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35- पुनर्वास 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2 घण्टे 30 मिनट
9.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	15- अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30- ग्रामीण विकास 34- सामाजिक न्याय 52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत 74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3 घण्टे

10.	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	73-	चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
11.	श्री सरताज सिंह, मंत्री	10-	वन	1 घण्टा
12.	कुं. विजय शाह, मंत्री	33- 41- 49- 64-	आदिम जाति कल्याण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण अनुसूचित जाति उपयोजना	2 घण्टे
13.	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	22- 72- 53- 68- 75- 78-	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय	3 घण्टे
14.	श्री राघवजी, मंत्री	6- 7- 31- 60- 61-	वित्त वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	1 घण्टा (वित्त को छोड़कर)
15.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	11- 46- 56- 69- 71-	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विज्ञान और टेक्नालॉजी कुटीर एवं ग्रामोद्योग सूचना प्रौद्योगिकी जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी	2 घण्टे
16.	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	19- 28- 29-	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य विधान मण्डल विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा 30 मिनट
17.	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	5- 36-	जेल परिवहन	1 घण्टा
18.	श्री अजय विश्‍नोई, मंत्री	63- 66- 76-	अल्पसंख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	1 घण्टा 30 मिनट
19.	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	26- 32- 44- 47- 51- 70-	संस्कृति जनसम्पर्क उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास धार्मिक न्यास और धर्मस्व तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घण्टे 30 मिनट
20.	श्री नागेन्द्र सिंह, मंत्री	24- 42- 67-	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल लोक निर्माण कार्य-भवन	2 घण्टे

21.	श्रीमती अर्चना चिटनीस, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2 घण्टे
22.	श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री	18- श्रम	1 घण्टा
23.	श्री गौरी शंकर बिसेन, मंत्री	20- लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी	1 घण्टा 30 मिनट
24.	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2 घण्टे 30 मिनट
25.	श्री पारस चन्द्र जैन, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
26.	श्रीमती रंजना बघेल, मंत्री	55- महिला एवं बाल विकास	1 घण्टा
27.	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री	37- पर्यटन 43- खेल और युवक कल्याण	1 घण्टा

समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार -

(1) शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2013 को सभा की बैठक नहीं होगी।

(2) सोमवार, दिनांक 4 से 14 मार्च, 2013 तक की सभा की बैठकों में भोजनावकाश नहीं होगा तथा बैठकें सायं 6.00 बजे तक होगी।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक एवं वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 8, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :

दिनांक : 26 फरवरी, 2013

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा